अध्यापक कल्याण कोष न्यास से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित नियम

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर में शिक्षकों/शिक्षिकाओं के आश्रितों को छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1965–1966 में अध्यापक कल्याण कोष न्यास की स्थापना की गई कार्यालय की निर्देश पुस्तिका अनुसार कोष का उपयोग शिक्षकों/शिक्षिकाओं तथा उनके आश्रितों की वास्तविक कठिनाईयों तथा आपत्तियों में सहायता करने के लिए किया जायेगा। इस कोष का उपयोग शिक्षकों/शिक्षिकाओं के सामूहिक कल्याण के कार्यो के लिए भी किया जा सकेगा। इसके उपरान्त समय–समय पर आयोजित न्यास की बैठकों में निर्णयों में संशोधन /परिवर्तन/परिवर्द्धन उपरांत वर्तमान में निम्नानुसार नियम प्रचलन में हैं :–

अध्यापक की परिभाषा :–

शिक्षक/शिक्षिका का अर्थ उस शिक्षक/शिक्षिका से है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 5 वर्ष से अध्यापन कार्य में संलग्न है तथा कम से कम 2 वर्ष तक सैकण्डरी, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं से संबंधित हों अथवा रहें हों एवं साथ ही बोर्ड की उत्तरपुस्तिका जांचने हेतु कम से कम तीन बार परीक्षक का कार्य किया हो।

(अ) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता एवं सामान्य नियम

1. छात्रवृत्ति सेवारत शिक्षक/शिक्षिका के पुत्र/पुत्री/पत्नि/पति को ही दी जायेगी।
2. शिक्षक/शिक्षिका की स्वयं एव पत्नि (यदि पत्नि सेवारत हो) अथवा दिवंगत/सेवारत शिक्षक/शिक्षिका के परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय 14,00,000/–(अक्षरे रू. चौदह लाख मात्र) अथवा इससे कम हो।
3. छात्रवृत्ति सीनियर सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च अध्ययन करने वालों को ही दी जायेगी। सैकण्डरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
4. परिवार के कई पुत्रों/पुत्रियों में से केवल एक ही पुत्र/पुत्री को छात्रवृत्ति देय होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
5. छात्रवृत्ति केवल एक सत्र के लिए ही दी जावेगी तथा अगले सत्र में छात्रवृत्ति चाहने हेतु उन्हें पुनः निर्धारित प्रक्रिया में समयानुसार एवं नियमान्तर्गत आवेदन भेजना होगा तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी एवं परिवार की आय रू. 14,00,000/–(अक्षरे रू. चौदह लाख मात्र) वार्षिक से अधिक होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
6. छात्रवृत्ति अध्यापक के परिवार की आय एवं विद्यार्थी के परीक्षाफल के आधार पर ही दी जावेगी।
7. छात्रवृत्ति केवल नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को ही 10 माह के लिए देय होगी।
8. आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने के पश्चात् निम्न पूर्तियां/संलग्न कर अंतिम तिथि तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में प्रेषित किया जाना आवश्यक है –
   1. विद्यार्थी की शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण
   2. शिक्षक/शिक्षिका की वर्तमान/अंतिम संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण।

3. गत परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका।
4. शिक्षक/शिक्षिका स्वयं की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र (फार्म 16) तथा यदि पति/पत्नि भी सेवारत है तो उनके भी आय प्रमाण पत्र/(फार्म 16)।
5. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. आवेदन पत्र में अंकित बैंक सूचना यथा नाम,पूर्ण खाता सं., आई.एफ.एस.सी. कोड आदि के सत्यापन हेतु छात्र के बैंक खाते की पासबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा एक निरस्त चैक जिसमें उक्त समस्त सूचनाऐं मुद्रित हो, संलग्न करें।

9. उपरोक्तानुसार संलग्न के मूल आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक निम्न पते पर पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते है।

सचिव
अध्यापक कल्याण कोष न्यास
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

10.स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति निम्नानुसार होगी –

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति दर
1	महाविद्यालय, बीएसटीसी,आई.टी.आई पंचवर्षीय एलएलबी, कम्प्यूटर सांईस, सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण छात्रों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु	300/– प्रतिमाह
2	पॉलोटेक्नीक अथवा समकक्ष डिप्लोमा, नर्सिग, फार्मेसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु	450/– प्रतिमाह
3	बीएड एवं एम.एड. हेतु	600/– प्रतिमाह
4	तकनीकी एवं व्यावसायिक यथा मेडीकल, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, एमबीए, वेटनरी, आई.आई.टी. एवं पी.एच.डी.हेतु	750/– प्रतिमाह

11. छात्रवृत्ति उन्हीं को दी जायेगी जिनकों किसी अन्य स्त्रोत्र से सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।

आर्थिक सहायता –

1. दिवंगत शिक्षक/शिक्षिका के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में राशि रू. 15000/– देय है।
2. बोर्ड परीक्षा कार्य के दौरान (On Duty) असामयिक मृत्यु होनेपर राशि रू. 2,00,000/– आर्थिक सहायता देय है।
3. गंभीर बीमारी केंसर या स्थायी रूप से अपंग होने पर शिक्षक/शिक्षिका को एक मुश्त राशि रू. 15,000/– की आर्थिक सहायता देय है।